जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया,
Jananayak Chandrashekhar University, Ballia

परीक्षा समिति की कार्यवाही

मा0 कुलपति जी की अध्यक्षता में दिनांकः 29 मई, 2018 को अपरान्ह् 03:00 बजे विश्वविद्यालय परिसर में आहूत परीक्षा समिति की बैठक की कार्यवाही

बैठक में निम्नवत अधिकारीगण उपस्थित हुए।

1. प्रो0 योगेन्द्र सिंह, कुलपति	अध्यक्ष
2. डॉ0(श्रीमती)रीना सक्सेना	सदस्य
3. डॉ0 अशोक कुमार उपाध्याय	सदस्य
4. डॉ0 भृंगराज चौबे	सदस्य
5. डॉ0 अशोक कुमार श्रीवास्तव	सदस्य
6. डॉ0 राजीव कुमार	सदस्य
7. डॉ0 राम प्रकाश कुशवाहा	सदस्य
8. श्री प्रकाश सिंह, वित्त अधिकारी	आंमत्रित सदस्य
9. श्री संजय कुमार, कुलसचिव	सदस्य–सचिव

मा0 कुलपति जी द्वारा परीक्षा समिति के सदस्यों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने की कुलसचिव को निर्देशित किया गया। तत्क्रम में कुलसचिव द्वारा परीक्षा समिति के सम्मुख विचारार्थ कार्यसूची प्रस्तुत की गयी, जिस पर परीक्षा समिति ने मदवार निम्नाँकित निर्णय लिये।

मद सं0 01: **दिनांक 08 मई 2018 को सम्पन्न परीक्षा समिति की बैठक की संलग्न कार्यवाही के संपुष्टिकरण पर विचार।**

परीक्षा समिति द्वारा दिनांक 08 मई 2018 को मद स0 1 पर किये गये विनिशचय के क्रम में गठित समिति द्वारा विश्वविद्यालय के परीक्षा एवं मूल्यांकन सम्बन्धी मानदेय/परिश्रमिक के निर्धारण के सम्बन्ध में की गयी निम्नांकित संस्तुति दिनांक 24.05.2018 को वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त किये जाने हेतु स्वीकार करते हुए समिति ने अपनी बैठक दिनांक 08.मई 2018 की समस्त कार्यवाही को यथावत अनुमोदित किया।

I.	परीक्षा फल के कोलेशन/चेकिंग –	रू0 2/–प्रति छात्र।
II.	मूल्यांकन टीम के समन्वयक/ संयोजक –	रू0 25000/–
III.	मूल्यांकन टीम के सहसमन्वयक/सहसयोजक –	रू0 20000/
IV.	उड़ाका दल के सदस्यों को परिश्रमिक –	रू0–500/प्रतिपाली।
V.	तृतीय श्रेणी कार्मिक	रू0 15000/–
VI.	चतुर्थ श्रेणी कार्मिक	रू0 10000/–

मद सं0 02: सत्र 2017–18 की वार्षिक परीक्षाओं में नकल में आरोपित परीक्षार्थियों के प्रकरणों हेतु गठित त्रिसदस्यीय यू0एफ0एम0 समिति की संस्तुतियों पर माननीय कुलपति जी द्वारा लिये गये निर्णय पर कार्येतर अनुमोदन प्रदान किये जाने पर विचार।

परीक्षा समिति द्वारा सत्र 2017–18 की वार्षिक परीक्षाओं में नकल में आरोपित परीक्षार्थियों के प्रकरणों के निस्तारण हेतु गठित यू0एफ0एम0 समिति की संस्तुतियों के उपरान्त जिन 14 छात्रों को परीक्षा समिति द्वारा नकल के आरोप से दोष मुक्त किया गया है, की उत्तर पुस्तिकाए मूल्यांकित कराते हुए परीक्षाफल धोषित किये जाने तथा जिन 204 परीक्षार्थियों को यू0एफ0एम0 समिति द्वारा नकल के आरोप में दोष सिद्ध पाया गया है, की सत्र 2017–18 की सम्पूर्ण परीक्षा निरस्त किये जाने हेतु माननीय कुलपति जी के निर्णय दिनांक 26.05.2018 को यथावत अनुमोदित किया।

मद सं0 03: सत्र 2017–18 की वार्षिक परीक्षाओं में सामूहिक नकल/परीक्षा केन्द्र पर हुयी अव्यवस्था /संचलदल एवं प्रेक्षक की रिर्पोट के आधार पर गठित यू0एफ0एम0 कमेटी द्वारा की गयी संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार।

परीक्षा समिति ने यू0एफ0एम0 कमेटी की संस्तुति दिनांक 19.05. 2018 पर सम्यक विचारोपरान्त नकल में आरोपित प्रत्येक परीक्षा केन्द्र के सम्बन्ध में निम्नांकित तालिका के अन्तिम स्तम्भ में अंकित दण्ड निर्धारित करते हुए प्रत्येक महाविद्यालय को **"कारण बताओ नोटिस"** दिये जाने का निर्णय लिया। परीक्षा समिति द्वारा महाविद्यालयों को एक सप्ताह का समय देते हुए उनसे प्राप्त उत्तर/पक्ष के सापेक्ष कुलपति महोदय को गुणावगुण के आधार पर महाविद्यालयवार दण्डादेश पारित किये जाने हेतु निर्णय लिये जाने के लिये अधिकृत किया गया।

क्र0	परीक्षा केन्द का नाम	सचलदल/समन्वयक/जिला प्रशासन की आख्या एवं यू0एफ0एम0 कमेटी की संस्तुति।	परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 30.05.2018 में लिया गया निर्णय/दण्ड
1	स्वामी राम नरायणाचार्य महिला महाविद्यालय, बेल्थरा रोड बलिया	दो कक्ष निरीक्षक के पास से नकल सामग्री प्राप्त हुई, प्रशासन की सस्तुति एवं समन्वयक की सस्तुति के आधार पर परीक्षा केन्द्र निरस्त कर दिया गया। भविष्य मे केन्द्र न बनाया जाय	आगामी दो वर्ष के लिये परीक्षा केन्द्र के रूप में डिबार तथा दो लाख रूपया अर्थदण्ड। सम्बन्धित तिथि तथा पाली की परीक्षा पुनः करायी जाय।
2	चौधरी कालेज आफ एजूकेशन विशुनपुर बरवाँ रत्ती पट्टी, बलिया	फर्जी केन्द्राध्यक्ष द्वारा परीक्षा करायी जा रही थी,उपजिलाधिकारी बेल्थरा रोड द्वारा प्रतिकूल प्रविस्टि, भविष्य मे केन्द्र न बनाया जाय।	आगामी दो वर्ष के लिये परीक्षा केन्द्र के रूप में डिबार तथा दो लाख रूपया अर्थदण्ड। सम्बन्धित तिथि तथा पाली की परीक्षा पुनः करायी जाय। केन्द्राध्यक्ष को एक वर्ष के लिये परीक्षा

			सम्बन्धी कार्यों से विरत रखा जाय।
3	सागर महिला महाविद्यालय भीमपुरा बलियो	सचल दल द्वारा एक ही दिन मे 12 नकलची पकड़े जाने के कारण सामूहिक नकल की आशंका। परीक्षा संदिग्ध/ शुचिता का अभाव। भविष्य में केन्द्र न बनाये जाने की संस्तुति।	आगामी दो वर्ष के लिये परीक्षा केन्द्र के रूप में डिबार तथा दो लाख रूपया अर्थदण्ड।
4	रमाशंकर महाविद्यालय कुशहाँ,रसीदपुर , बलिया।	एक ही दिन में अधिकतम 06 तथा कुल 14 नकलची सचल दल द्वारा पकड़े गये। मुख्य मार्ग से महाविद्यालय बहुत दूर है। पहुच मार्ग बहुत दूर्गम है। परीक्षा सुचिता पूर्ण होनी प्रतीत नही होती है, केन्द्र न बनाये जाने की संस्तुति।	आगामी दो वर्ष के लिये परीक्षा केन्द्र के रूप में डिबार तथा दो लाख रूपया अर्थदण्ड।
5	माँ धनेश्वरी महाविद्यालय कुशहाँ रसीदपुर, बलिया।	एक ही समय में 05 नकलची पकड़े गये। केन्द्राध्यक्ष की लपरवाही मूलभूत सविकार कक्ष, परीक्षा शुचिता का अभाव, केन्द्र न बनाये की संस्तुति।	आगामी दो वर्ष के लिये परीक्षा केन्द्र के रूप में डिबार तथा दो लाख रूपया अर्थदण्ड।
6	विवेकानन्द महाविद्यालय सेमरी, बलिया	पर्यवेक्षक की प्रतिकूल आख्या। सचल दल द्वारा हर दौरे मे नकलची पकड़े जाना। मुख्य मार्ग से महाविद्यालय अत्यंत दूर, पहुच मार्ग दुर्गम। परीक्षा की शुचिता संदिग्ध, परीक्षार्थियों का केन्द्र तक पहुचना कठिन। भविष्य मे केन्द्र न बनाया जाय।	आगामी दो वर्ष के लिये परीक्षा केन्द्र रूप में डिबार तथा दो लाख रूपया अर्थदण्ड।
7	स्वतंत्र अनिरूद्ध महाविद्यालय ताड़ीबड़ागाव बलिया।	महाविद्यालय पर एक दिन भयंकर तोड़फोड़ हुई तथा कानून व्यवस्था की गंभीर स्थिति पैदा हुई। छात्रों द्वारा महाविद्यालय पर गभीर अरोप लगाये गये। एक दिन मे ही 04 नकलची पकड़े गयें। यह महाविद्यालय अति संवेदनशील है। भविष्य में केन्द्र न बनाये जाने की संस्तुति।	आगामी दो वर्ष के लिये परीक्षा केन्द्र के रूप में डिबार तथा दो लाख रूपया अर्थदण्ड।
8	राममनोहर लोहिया सूबेदार महाविद्यालय हब्सापुर बलिया	दिनांक 19.03.2018 को सचल दस्ते की आख्या के अनुसार टीम के पहुचने पर अफरा–तफरी का माहौल महाविद्यालय मे प्रबन्धक उपस्थित थे, जो टीम को देखकर भागे। मुख्य मार्ग से महाविद्यालय अत्यंत दूर है। केवल निजी साधन से पहुचा जा सकता है। परीक्षा की शुचिता संदिग्ध। भविष्य मे केन्द्र न बनाये जाने की संस्तुति।	आगामी दो वर्ष के लिये परीक्षा केन्द्र के रूप में डिबार तथा केन्द्राध्यक्ष को एक वर्ष के लिये परीक्षा सम्बन्धी कार्यो से विरत रखा जाय।
9	कन्हैया महाविद्यालय भीमपुरा, बलिया	परीक्षा व्यवस्था संदिग्ध। जिस केन्द्र के छात्र वही के अध्यापक कक्ष निरीक्षण मे मिले। परीक्षा की शुचिता संदिग्ध, परीक्षा केन्द्र न बनाये जाने की संस्तुति।	आगामी दो वर्ष के लिये परीक्षा केन्द्र के रूप में डिबार तथा दो लाख रूपया अर्थदण्ड। केन्द्राध्यक्ष को नोटिस।
10	माँ धनेश्वरी देवी	बी0एस0सी0 परीक्षार्थी फिजिक्स प्रथम प्रश्न पत्र (बार कोड –7212749) द्वारा मुख्य पृष्ठ	परीक्षार्थी की सम्पूर्ण परीक्षा निरस्त तथा परीक्षा केन्द्र

	महाविद्यालय बलिया	के एक पन्ने के उपरान्त 16 पन्ने अलग से जोडे गये हैं, उत्तर पुस्तिका में अनुक्रमाक अंकित हैं। उत्तर पुस्तिका में लिखावट में भी अन्तर है।	की लापरवाही के कारण परीक्षा केन्द्र को दो वर्ष के लिये डिबार तथा दो लाख रूपया अर्थदण्ड।
11	तिलेश्वरी महाविद्यालय गौरा बलिया।	बी0एस0सी0 परीक्षार्थी बाटनीय तृतीय प्रश्न पत्र (बार कोड –7212749) उत्तर पुस्तिका में अलग अलग लिखावट में प्रश्न हल किये गये हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तर पुस्तिका को दो लोगों ने मिलकर हल किया है।	परीक्षार्थी की सम्पूर्ण परीक्षा निरस्त तथा परीक्षा केन्द्र की लापरवाही के कारण परीक्षा केन्द्र को दो वर्ष के लिये डिबार तथा दो लाख रूपया अर्थदण्ड।
12	स्व: केशव प्रसाद पी0जी0 कालेज ससना बलिया।	बी0एस0सी0 परीक्षार्थी बाटनी प्रथम प्रश्न पत्र (बार कोड –7234608) उत्तर पुस्तिका में जो लिखावट है उसमें अन्तर पाया गया है। प्रश्न जो पहले हल किये गये हैं, पुनः उन्ही प्रश्नों को दोबारा दूसरी लिखावट में हल किया गया है।	परीक्षार्थी की सम्पूर्ण परीक्षा निरस्त तथा परीक्षा केन्द्र की लापरवाही के कारण परीक्षा केन्द्र को दो वर्ष के लिये डिबार तथा दो लाख रूपया अर्थदण्ड।
13	यशोदानन्दन महिला महाविद्यालय एकइल, टंडवा बलिया	केन्द्राध्यक्ष परीक्षा कराने मे असमर्थ, परीक्षा केन्द्र निरस्त किया गया, केन्द्राध्यक्ष द्वारा नकल के दबाव की स्वीकरोक्ति तथा परीक्षा कराने की असामर्थता, बीच मे केन्द्र निरस्त किया गया। भविष्य मे केन्द्र न बनाया जाय।	भविष्य में केन्द्र न बनाया जाय। केन्द्राध्यक्ष को परीक्षा सम्बन्धित कार्यो से एक वर्ष के लिय विरत रखा जाय। प्रबन्धक को केन्द्राध्यक्ष को दण्डित किये जाने के लिये सूचित किया जाय।
14	आशा महाविद्यालय शाहपुर टिटिहरी बलिया।	केन्द्र पहुच मार्ग से अन्यंत दूर। परीक्षा व्यवस्था की शुचिता संदिग्ध। मुख्य मार्ग से महाविद्यालय अत्यंत दूर होने के कारण केन्द्र की निगरानी मुस्किल हैं छात्रों के शिकायत भी आ रही है। पर्यवेक्षकों के साथ सहयोगात्मक व्यवहार नहीं रहा। भविष्य मे केन्द्र न बनाये जाने की संस्तुति।	भविष्य में परीक्षा केन्द्र न बनाया जाय।
15	शहबान मेमारियल महाविद्यालय नगरा बलिया	पूर्व वर्षो से काशी वि0पी0 की परीक्षा के दौरान शिकायतें मिली हैं केन्द्र का व्यवहार सचल दस्ते तथा पर्यवेक्षको से उचित नही है। सचल दस्ते की रिपोर्ट के आधार पर परीक्षा की शुचिता संदिग्ध लगती हैं। केन्द न बनाये जाने की संस्तुति।	भविष्य में केन्द्र न बनाया जाय।
16	डी0 एस0 मालती तिलौली बलिया	मुख्य मार्ग से अत्यंत दूर। परीक्षा की निगरानी मुस्किल, छात्रों को केन्द्र तक पहुचना मुस्किल,। विश्वविद्यालय द्वारा नामित सचल दस्ते के सदस्यों एवं पर्यवेक्षकों के साथ व्यवहार सहयोगात्मक नही रहा। छात्रों की सुविधा को देखते हुए, तथा परीक्षा की निगरानी को सुगम बनाने के लिये इसकी जगह किसी अपेक्षा कृत मुख्य मार्ग से नजदीक के महाविद्यालय को केन्द्र बनाया जाना उचित होगा।	भविष्य में केन्द्र न बनाया जाय, तथा आगामी परीक्षाओं हेतु ततसमय युक्तियुक्त निर्णय लिया जाय।

17	फतेह बहादुर महाविद्यालय ससना बलिया	मुख्य मार्ग से अत्यंत दूर। परीक्षा की निगरानी मुस्किल, छात्रों को केन्द्र तक पहुँचना मुस्किल,। विश्वविद्यालय द्वारा नामित सचल दस्ते के सदस्यों एवं पर्यवेक्षकों के साथ व्यवहार सहयोगात्मक नही रहा। छात्रों की सुविधा को देखते हुए, तथा परीक्षा की निगरानी को सुगम बनाने के लिये इसकी जगह किसी अपेक्षा कृत मुख्य मार्ग से नजदीक के महाविद्यालय को केन्द्र बनाया जाना उचित होगा।	भविष्य में केन्द्र न बनाया जाय, तथा आगामी परीक्षाओं हेतु ततसमय युक्तियुक्त निर्णय लिया जाय।
18	बाबा गालू दास महाविद्यालय बलिया	तदैव	तदैव
19	शिवराज स्मारक महाविद्यालय रामपुर बलिया।	तदैव	तदैव
20	रखन्त बाबा महाविद्यालय बलिया।	तदैव	तदैव
21	ललित कृष्ण वीमेन इन्स्टीट्यूट आफ हायर एजूकेशन बलिया।	तदैव	तदैव
22	राज नारायण महाविद्यालय, भीमपुरा–2 बलिया।	बिना विश्वविद्यालय के अनुमोदन के प्रबन्धक द्वारा नियुक्त केन्द्राध्यक्ष से परीक्षा कराया जाना जिससे परीक्षाए की शुचिता प्रभावित हुई।	तदैव

परीक्षा समिति द्वारा क्रमांक 14 से 22 तक उल्लिखित महाविद्यालयों के सम्बन्ध में आगामी परीक्षाओं के पूर्व युक्तिमुक्त निर्णय लिये जाने हेतु डॉ0 राम प्रकाश कुशवाहा, वित्त अधिकारी एवं उपकुलसचिव की त्रिसदस्यीय समिति को अधिकृत किया गया।

<u>मद सं0 04:</u> दिनांक 29.05.2018 से द्वितीय सेमेस्टर की सम्पन्न हो रही परीक्षाओं के प्रायोगिक/मौखिक परीक्षा हेतु छात्र संख्या के दृष्टिगत संलग्न प्रस्ताव के अनुमोदन पर विचार।

परीक्षा समिति ने दिनांक 29.05.2018 से द्वितीय सेमेस्टर की सम्पन्न हो रही परीक्षाओं के प्रायोगिक/मौखिक परीक्षाओं हेतु छात्र संख्या के दृष्टिगत निम्नांकित प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया।

I. प्रायोगिक/मौखिक परीक्षा हेतु अधिकतम 80/100 परीक्षार्थियों का एक बैच अवश्यकतानुसार गठित करते हुए यह परीक्षा करायी जाय।

II. परीक्षकों (एक आन्तरिक एव एक बाहय)द्वारा एक दिन में अधिकतम 02 बैच की प्रायोगिक/मौखिक परीक्षा सम्पन्न करायी जाय।

III. विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों के सेवानिवृत एवं स्थानीय शिक्षकों एवं एक महाविद्यालय के शिक्षक को दूसरे महाविद्यालय में बाहय परीक्षक नियुक्त किया जाय।

IV. द्वितीय सेमेस्टर के परीक्षार्थियों को लिखित परीक्षाओं हेतु आवंटित परीक्षा केन्द्रों अथवा निर्धारित छात्र संख्या के आधार पर अन्य किसी परीक्षा केन्द्र पर प्रायोगिक/मौखिक परीक्षा सम्पन्न करायी जाय।

V. परीक्षकों को शासनादेशानुसार अनुमन्य टी0ए0/डी0ए0 एवं प्रायोगिक /मौखिक परीक्षा में सम्मिलित छात्रों के सापेक्ष स्नातक स्तर पर प्रति छात्र रू0 12 परास्नातक स्तर पर प्रति छात्र रू0 18 पारिश्रमिक प्रदान किया जाय।

VI. प्रायोगिक/मौखिक परीक्षाएं विलम्बतम 12 जून 2018 तक सम्पन्न कराते हुए परीक्षा परिणाम 15.06.2018 तक घोषित कर दिया जाय।

<u>मद सं0 05:</u> प्राचार्य, देवेन्द्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिल्थरा रोड, बलिया, के पत्र दिनांक 16.05.2018 को परीक्षा समिति को संज्ञानित किया जाना।

परीक्षा समिति प्राचार्य, देवेन्द्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिल्थरा रोड, बलिया के पत्र दिनांक 16.05.2018 जो रामकरण पी.जी. कालेज भीमपुरा 1 एवं माँ शान्ति देवी महाविद्यालय, हल्दीपुर से सम्बन्धित है, से संसूचित हुई।

<u>मद सं0 06:</u> समन्यक मूल्यांकन केन्द्र डॉ0 राम शरण पाण्डेय द्वारा माननीय कुलपति जी को सम्बोद्धित पत्र , दिनांक 24.05.2018 एवं दिनांक 26.05.2018 के तीन पत्रों को परीक्षा समिति के संज्ञानार्थ एवं आवश्यक निर्णय हेतु प्रस्तुत।

परीक्षा समिति द्वारा समन्वयक, मूल्यांकन केन्द्र द्वारा माननीय कुलपति जी, को सम्बोधित पत्र दिनांक 24.05.2018 एवं दिनांक 26.05.2018 के सापेक्ष उपर्युक्त मद संख्या 3 के क्रमांक 11,12 एवं 13 पर निर्णय लिया जा चुका है।

<u>मद सं0 07:</u> सत्र 2017–18 की वार्षिक परीक्षाओं के बैक पेपर/श्रेणी सुधार परीक्षा सत्र 2018–19 की दिसम्बर 2018 में आयोजित होने वाली विषम सेमेस्टर की परीक्षाओं के साथ कराये जाने पर विचार।

परीक्षा समिति द्वारा सर्वसम्मति से सत्र 2017–18 की वार्षिक परीक्षाओं के बैक पेपर/श्रेणी सुधार परीक्षा सत्र 2018–19 की दिसम्बर 2018 में आयोजित होने वाली विषम सेमेस्टर की परीक्षाओं के साथ कराये जाने हेतु विश्वविद्यालय की कार्य योजना को अनुमोदित किया गया।

<u>मद सं0 08:</u> बी0एस0सी0,बी0ए0,बी0एस0सी0,ए0जी0,बी0काम0 पाठ्यक्रमों के परीक्षाफल तैयार किये जाने हेतु "Passing Ruls" के अनुमोदन पर विचार।

परीक्षा समिति ने बी0एस0सी0,बी0ए0,बी0एस0सी0,ए0जी0,बी0काम0 पाठ्यक्रमों के परीक्षा फल तैयार किये जाने हेतु **"Passing Ruls"** यथावत अनुमोदित करते हुए परीक्षा फल 10 जून 2018 तक घोषित किये जाने का निर्देश दिया।

अन्यु बिन्दु अध्यक्ष महोदय की अनुमति से

मद सं0 01: कुलसचिव द्वारा परीक्षा समिति को अवगत कराया गया कि वार्षिक परीक्षा 2017–18 के कुछ विषयों की उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या कम होने एवं अन्य कारणों से परीक्षक उपलब्ध न होने के फलस्वरूप उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन नही हो सका है। परीक्षा समिति ने शासन द्वारा परीक्षाफल घोषित किये जाने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि 10.जून 2018 के दृष्टिगत उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन विशेष वाहक के माध्यम से गोपनीय रूप से बाहर भेजकर तत्काल कराये जाने की अनुमति प्रदान की ।

मद सं0 02: परीक्षा समिति के कतिपय सदस्यों द्वारा वार्षिक परीक्षा 2017–18 के उन छात्रों की प्रायोगिक परीक्षाएं जो किन्ही कारणों से इन परीक्षाओं में सम्मिलित नही हो सके है, की पुनः परीक्षा अतिरिक्त प्रायोगिक परीक्षा शुल्क लेते हुए कराये जाने का प्रकरण विचारार्थ रखा गया। परीक्षा समिति ने सम्यक विचारोपरान्त छूटे हुए परीक्षार्थियों कि प्रायोगिक परीक्षा रू0 1500/– प्रति परीक्षार्थी प्राप्त करते हुए दिनांक 15.06.2018 तक कराये जाने का निर्णय लिया।

मद सं0 03: अध्ययक्ष महोदय द्वारा परीक्षा समिति को अवगत कराया गया है कि जुलाई 2017 में आयोजित कुलपति सम्मेलन में इस आशय के निर्देश दिये गये कि छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर में लागू **"चैलेन्ज इवैलूएशन"** की व्यवस्था समस्त राज्य विश्वविद्यालय द्वारा अपने–अपने विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों को उपलब्ध करायी जाय। कुलसचिव द्वारा यह सूचित किया गया कि **"चैलेन्ज इवैलूएशन"** की सुविधा इस विश्वविद्यालय के छात्रों को दिये जाने हेतु सम्पूर्ण प्रक्रिया एवं कार्य योजना पर माननीय कुलपति जी, से अनुमोदन प्राप्त करते हुए परीक्षा समिति के आगामी बैठक में कार्येतर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

अन्त में अध्यक्ष महोदय के धन्यवाद ज्ञापन के साथ परीक्षा समिति की बैठक सम्पन्न हुयी।

(संजय कुमार)
कुलसचिव/सदस्य –सचिव

(प्रो0 योगेन्द्र सिंह)
कुलपति/अध्यक्ष